

2018/00120

D

रिपोर्ट पटवारी इरीडिया

महोदय जी निवेदन है कि ग्राम इरीडिया की जमाबंदी सन् 2012-15 के खाला सं 262 व 263 में ~~जो~~ जाति चमार दर्ज है। जबकि आधारकांड में ~~जो~~ जाति बैरवा दर्ज है। अतः उक्त दोनो खालो में ~~जो~~ जाति चमार के बजाय बैरवा किया जाना उचित होगा रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में पेश है।

10-5-18
(हरिदाम माली)

पटवारी प. म. ई. ए. डी. ए.
तह. फुलियाकला (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट मूअनिसी 3122

IIR
रिपोर्ट पटवारी स्पष्ट एवं सही है। उपरोक्तानुसार जाति / नाम / हिस्सा दुरुस्त करने की अनुशंघा की जाती है।

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

तहसीलदार
फुलियाकला (भीलवाड़ा)

आदेश कसम इरीडिया दि 10-5-18

प. म. 129/18 का. फ.

उक्त रिपोर्ट तहसीलदार फुलियाकला के जमा इरीडिया की जमाबंदी सन् 2012-15 के खाला सं. 263 व 262 में जो जाति चमार के बजाय बैरवा दर्ज है जो कि जोर से आया हुआ है। पाठनाथ तहसीलदार फुलियाकला को ज्ञात होवे।



उपर्युक्त अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फुलियाकला, जिला-भीलवाड़ा

तहसीलदार,
फुलियाकला जिला भीलवाड़ा